

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 119 : Sums due to be paid notwithstanding appeal, etc.**

Notwithstanding that an appeal has been preferred to the High Court or the Supreme Court, sums due to the Government as a result of an order passed by the <sup>1</sup>[Principal Bench] of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the <sup>2</sup>[State Benches] of the Appellate Tribunal under subsection (1) of section 113 or an order passed by the High Court under section 117, as the case may be, shall be payable in accordance with the order so passed.

---

- 
- 1 Substituted for “National Bench or Regional Benches” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.
  - 2 Substituted for “State Bench or Area Benches” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

**धारा 119 : अपील, आदि के होते हुए भी संदत्त की जाने वाली राशियां**

इस बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, यथास्थिति, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की <sup>1</sup>[प्रधान न्यायपीठ] या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की <sup>2</sup>[राज्य न्यायपीठों] या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय होगी।

---

- 
- 1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों "राष्ट्रीय या प्रादेशिक न्यायपीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।
  - 2 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों "राज्य न्यायपीठों या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।